

मध्य प्रदेश शासन  
गृह (पारपत्र) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए)01/2019/ए-1/दो  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/01/2019

पुलिस अधीक्षक  
जिला-इन्दौर  
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृष्ठाकन/निवासवृद्धि पाक नागरिक श्री गोपालदास पुत्र श्री रिझोमल निवासी जिला इंदौर।

संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक 2018(2818/18,) दि.19.12.2018

—00—

पाक नागरिको श्री गोपालदास पुत्र श्री रिझोमल को 90 दिन दि.03.04.2019 तक वापसी पृष्ठाकन स्वीकृत किया जाता है। पारपत्र यथा विधि वितरण हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पारपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजे।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

1 श्री गोपालदास पुत्र श्री रिझोमल मूल पारपत्र क्रमांक AD-7890322

संलग्न: उपरोक्तानुसार

नोट:- पाक नागरिका श्री गोपालदास पुत्र श्री रिझोमल के प्रथमबार से दिनांक 26.06.2018 तक निवासवृद्धि प्रस्ताव अप्राप्त है।

(श्रीदास)


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

भोपाल, दिनांक 04/01/2019

क्रमांक एफ-3(ए)01/2019/ए-1/दो  
प्रतिलिपि:-

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2018-20(3)दि.02.01.2019 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 आवेदक श्री गोपालदास पुत्र श्री रिझोमल निवासी 20 सिल्वर पैलेस कालोनी अन्नपूर्णा रोड जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 3 फ़ोल्डर प्रति,



अवर सचिव

म0प्र0शासन गृह (पारपत्र)विभाग